पत्रांकः—वन भूमि—64 / 2023 8008 / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक 04/12/2023

विषय :— छपरा जिलान्तर्गत गाजीपुर—बलिया—यूपी / बिहार सीमा (मांझीघाट तक) ग्रीनफील्ड खंड के किमी 0.00 से किमी 115.200 तक एवं बक्सर स्पर (कुल लंबाई 17.800 किमी) चार लेन पथ निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 5.66 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि छपरा जिलान्तर्गत गाजीपुर—बलिया—यूपी / बिहार सीमा (मांझीघाट तक) ग्रीनफील्ड खंड के किमी 0.00 से किमी 115.200 तक एवं बक्सर स्पर (कुल लंबाई 17.800 किमी) चार लेन पथ निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 5.66 हे0 भूमि अपयोजन का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आजमगढ़ द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—190(ई०) दिनांक—16.02.1994 एवं 485(ई0) दिनांक—15.04.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

विषयांकित परियोजना में 5.66 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा द्वारा अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में 223 वृक्षों का पातन होना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक—1350 दिनांक—31.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाला कोई भी वृक्ष दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजाति का नहीं है। इसलिए वृक्ष सुरक्षा योजना की आवशकयता नहीं है। परियोजना निर्माण के क्रम में सभी 223 वृक्षों का पातन किया जाना है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 5.66 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 11.50 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को सासाराम वन प्रमंडल के रोहतास वन प्रक्षेत्र के साहपुर PF को चिन्हित करते हुए 33,65,273 / —(तेतीस लाख पैसठ हजार दो सौ तिहत्तर रूपये) मात्र प्राक्कलन (छायाप्रति संलग्न) वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है। प्रासंगिक पत्र में अंकित है कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कुल–5.66 हे० वन भूमि अपयोजन के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा FRA, 2006 निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया गया है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 5.66 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 54,21,035/–(चौवन लाख इक्कीसं हजार पैतीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 5.66 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये सासाराम वन प्रमंडलन्तर्गत 11.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 33,65,273/–(तैंतीस लाख पैसठ हजार दो सौ तिहत्तर रूपये) मात्र प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन को प्रयोक्ता एजेंसी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1552/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलबध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–64/2023 800(वि) /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 04/12/2023

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–64/2023 800(वि) /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 04/12/2023

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

4/12/2023

(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

Van Bhumi:- 64/2023

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 5.66 ha. forest land for widening and strengthening Work for Four Laniing of Gajipur-Baliya-UP/Bihar Border Road under Chapra District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter

Signature:-

Date:- 4/12/2023

Place:- PATNA

Name of Designation:- Sudhir Kumar

Official Seal:- अपर सचिव
पर्यावरण, व. एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना